मनु भंडारी बनाम. पंजाब विश्वविद्यालय (एम.एम. पुंछी, न्यायमूर्ति.)

एम. एम पूंछी और उजागर सिंह, न्यायमूर्ति के समक्ष

मनु भंडारी,-याचिकाकर्ता।

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय, -प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या 6460

1988 सितम्बर 6,

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14-एलएलबी में प्रवेश। पाठ्यक्रम -एक ही विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले उम्मीदवारों को 10 प्रतिशत वेटेज-संस्थागत प्राथमिकता-इतना वेटेज दिया जा सकता है। यह माना गया कि एक ही विश्वविद्यालय या संस्थान से आने वाले उस क्षेत्र में रहने वाले छात्रों की जरूरतों को प्राथमिकता से पूरा करने के लिए किसी विशेष संस्थान द्वारा विभिन्न तरीकों को तैयार किया जा सकता है। इस मामले में ठीक यही किया गया है। पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी परिस्थितियों में 10 प्रतिशत वेटेज देने का उपाय संस्थागत वरीयता का एक उदाहरण है और फिर भी सभी सीटें सभी के लिए खुली हैं। अब याचिकाकर्ता के मुंह से यह कहना उचित नहीं है कि कुछ आरक्षण था, क्योंकि क्या वहां कोई आरक्षण था। उस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया होगा। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि संस्था की प्राथमिकता के आधार पर ऐसा महत्व वैध रूप से दिया जा सकता है।

पैरा (3)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका प्रार्थना करती है कि:-

(ए) कि याचिकाकर्ता को एलएलबी में प्रवेश देने के लिए प्रतिवादी को निर्देश देने के लिए परमादेश की रिट जारी की जा सकती है। पंजाब विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष का प्रातःकालीन पाठ्यक्रम और प्रतिवादी उन्हें आगे निर्देशित किया जा सकता है कि उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय से अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सामान्य श्रेणियों की 75 प्रतिशत सीटों से अधिक अंकों का दस प्रतिशत वेटेज नहीं देना चाहिए।

(बी) याचिका की लागत की अनुमति दी जा सकती है।

(सी) कृपया अनुलग्नक पी/1 की सत्यापित प्रति दाखिल करने की अनुमति दी जाए। सिविल विविध. 1988 का क्रमांक 9842. धारा 151 सी.पी.सी. के तहत आवेदन प्रार्थना करते हुए कि प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को एलएलबी में अनंतिम रूप से प्रवेश देने का निर्देश दिया जा सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर कोर्स मॉर्निंग रिट याचिका का फैसला होने तक या विकल्प में एक सीट रिट याचिका का फैसला होने तक खाली रखी जा सकती है।

याचिकाकर्ता के वकील एच.एस. सेठी।

प्रतिवादी की ओर से जे.एल. गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता और सुभाष आहूजा, अधिवक्ता।

निर्णय

एम. एम. पुंछी, न्यायमूर्ति (मौखिक)

(1) 'याचिकाकर्ता पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला से स्नातक है। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के कानून विभाग में प्रवेश मांगा। वह स्नातक होने के कारण प्रवेश लेने के योग्य था। उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि प्रवेश चाहने वाले पंजाब विश्वविद्यालय के अन्य स्नातकों ने उनसे बेहतर प्रदर्शन किया क्योंकि उन्हें प्रॉस्पेक्टस के खंड 6 के तहत 10 प्रतिशत का वेटेज मिला, जिसमें प्रावधान था कि पंजाब विश्वविद्यालय से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को 10 प्रतिशत वेटेज दिया जाना है। . याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि यह एक संस्थागत आरक्षण है और शत-प्रतिशत होना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

(2) प्रतिवादी द्वारा रिटर्न दाखिल किया गया है जिसमें 10 प्रतिशत वेटेज देने को उचित ठहराया गया है। इसे एक प्रकार की संस्थागत प्राथमिकता के रूप में सुझाया गया है न कि किसी भी स्थिति में आरक्षण के रूप में।

(3) संस्थागत प्राथमिकता को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विवेकपूर्ण रूप से मान्यता दी गई है और एक विशेष संस्थान द्वारा एक ही विश्वविद्यालय या संस्थान से आने वाले उस क्षेत्र में रहने वाले छात्रों की जरूरतों को प्राथमिकता से पूरा करने के लिए विभिन्न तरीकों को तैयार किया जा सकता है। इस मामले में ठीक यही किया गया है। पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी परिस्थितियों में 10 प्रतिशत वेटेज देने का उपाय संस्थागत प्राथमिकता का एक उदाहरण है और फिर भी सभी सीटें सभी के लिए खुली हैं। याचिकाकर्ता ने पंजाब विश्वविद्यालय के स्नातकों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाया और यह पता चला कि वह सफल नहीं हुआ है। अब याचिकाकर्ता के मुंह से यह कहना उचित नहीं है कि कुछ आरक्षण था, क्योंकि अगर कोई आरक्षण होता, तो उस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता। इस प्रकार, हमारा विचार है कि पंजाब विश्वविद्यालय,

मनु भंडारी बनाम. पंजाब विश्वविद्यालय (एम.एम. पुंछी, न्यायमूर्ति.)

चंडीगढ़ के कानून विभाग में प्रवेश के मामले में पंजाब विश्वविद्यालय के स्नातकों को दिए गए इस तरह के वेटेज में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है। परिणामस्वरूप, हम याचिका को तत्काल खारिज करते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

तुषार शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी , कैथल, हरियाणा